मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2017 (अग्रहायण 7, शक सम्वत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 एवं 19) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 106 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 135 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) भोपाल में कोचिंग से घर लौट रही छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना पर स्थगन लिया जाना

श्री रामनिवास रावत, सदस्य, अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, शकुन्तला खटीक, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 की शाम भोपाल के एम.पी. नगर की 19 वर्षीय छात्रा पी.एस.सी. की कोचिंग से घर वापस लौट रही थी तभी हबीबगंज रेलवे ट्रेक पर 4 लोगों ने उसे झाड़ियों में खींचकर उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया. आज प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है. प्रदेश की महिलाएं एवं बालिकाएं यहां असुरक्षित हैं. इस विषय पर हम लोगों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव दिया गया है जिसे आप ग्राह्य करें. अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि – "मैं इसका परीक्षण करता हूं. इसकी जानकारी अभी विभाग से नहीं आई है जानकारी आने के बाद आपसे बात करेंगे." श्री रामनिवास रावत ने उल्लेख किया कि हम लोगों ने समय पर स्थगन प्रस्ताव दिया था और शासन की ओर से समय पर जानकारी आ जाना चाहिए. आप कह रहे है कि जानकारी मंगा रहे है, आपने भी कहा है कि सदस्य मुद्दे उठाएं हम चर्चा कराने के लिए तैयार है और उस पर सार्थक बहस होना चाहिए. इसलिए आप इसको स्वीकार करें, हम सार्थक बहस करेंगे.

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्य को अवगत कराया कि – "मैं मना नहीं कर रहा हूं, मुझे शासन से जानकारी ले लेने दीजिए, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा."

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि इस विषय पर उनके, श्री रामनिवास रावत और डॉ. गोविन्द सिंह सहित अन्य सदस्यगण के स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य करने का आश्वासन दें. अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अवगत कराया कि मैं आपसे कक्ष में चर्चा करूंगा. आप मुझे विचार हेतु समय दें. श्री उमाशंकर गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री (प्रभारी) प्रतिपक्ष से कहा कि ये सदन की मान्य परम्परा है कि आसंदी को समय देना चाहिए. अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि शासन से जानकारी आ जाने दो. इसमें कोई नई बात नहीं है. आप भी जब सरकार में थे तब भी यही होता था.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि "मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमावली के नियम 140 में उल्लेख है कि –

> "यदि सूचना देने वाले सदस्य और मंत्री से ऐसी जानकारी मंगाने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि विषय अविलंबनीय है और सभा में जल्दी उठाये जाने के लिए पर्याप्त महत्व का है, तो वह सूचना ग्रहण कर सकेगा और सभा नेता के परामर्श से ऐसी स्थिति सुनिश्चित कर सकेगा, जब ऐसा विषय चर्चा के लिए लिया जा सके और चर्चा के लिए उतने समय की अनुमति दे सकेगा जितना की वह उस स्थिति में उचित समझे और जो कि डेढ़ घंटे से अधिक न हो, परन्तु यदि ऐसे विषय पर चर्चा के लिए अन्य अवसर जल्दी उपलब्ध होने वाले हों तो अध्यक्ष सूचना ग्रहण करने से इंकार कर सकेगा."

इसलिए आपको समय देना ही चाहिए. आपकी बात सुन ली है, शासन से जानकारी अपेक्षित है इसके बाद आपको सूचना देंगे. श्री रामनिवास रावत ने आसंदी से पुन: अनुरोध किया कि कब तक जानकारी मंगाकर इस पर निर्णय आसंदी देगी, क्योंकि हमें यहां पर शासन की मंशा ठीक नहीं लग रही है. शासन चर्चा कराने से भागना चाह रहा है. शासन महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है या तो सरकार उत्तर दे या आप इसे स्वीकार कर लें. आप चाहे तो इसे आज नहीं तो कल स्वीकार कर लें. श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने उनसे कहा कि आप वरिष्ठ सदस्य है, यहां पर आसंदी को बाध्य करके किसी बात पर कमिटमेंट नहीं करवाना चाहिए. श्री रामनिवास रावत ने स्पष्ट किया कि हमने आसंदी को बाध्य नहीं किया है.

श्रीमती शकुन्तला खटीक, सदस्या ने भी उल्लेख किया कि प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा होना चाहिए. प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है. अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि हम जानकारी लेकर आपको बताएंगे.

(2) जुलाई, 2017 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना एवं नियम 267 - क के अधीन जुलाई, 2017 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – कल की कार्यसूची में जुलाई, 2017 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना एवं नियम 267 - क के अधीन जुलाई, 2017 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने का उल्लेख था लेकिन यह हमें तो प्राप्त नहीं हुआ है. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य को अवगत कराया गया कि कल निधन उल्लेख के बाद कार्यवाही स्थगित होने से यह प्रथम दिन पटल पर नहीं रखे जा सके अब संबंधित विषय आगे आ रहा है तब ये आपत्ति आप उठाएं. आज ये विषय कार्यसूची में शामिल हैं.

3. नियम 267-क के अधीन सूचनाएं

(1) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य ने रीवा जिले में कैंसर युनिट संचालन में अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को स्वास्थ्य लाभ न मिलने,

(2) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना नगर के बीच गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर यातायात व्यवस्थाएं न होने,

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने कटनी स्थित कृषि उपज मंडी द्वारा दाल मिल संचालकों से गरीब उत्थान हेतु निराश्रित शुल्क की वसूली न किये जाने,

(4) श्री मानवेन्द्र सिंह , सदस्य ने छतरपुर जिले की तहसील नौगांव अंतर्गत कई ग्रामीण लोगों की कृषि भूमि नक्शा विहीन होने से उनका शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित होने,

(5) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य ने डॉ.हरिसिंह गौर की जीवनी स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने,

(6) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सब्सिडी किसानों को पूर्ण रूप से वितरित न किये जाने,

(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के कराहल विकासखण्ड अंतर्गत कई ग्रामों में तालाबों का सुदृढ़ीकरण न होने से पेयजल संकट उत्पन्न होने तथा

(8) श्री तरूण भनोत , सदस्य ने प्रदेश के पथ विक्रेताओं के हितों का ध्यान न रखे जाने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख (क्रमशः)

(3) जिला पंचायत सी.ई.ओ. बालाघाट द्वारा पादरीगढ़ की सरपंच श्रीमती भक्ति ठाकुर को प्रताड़ित करने के फलस्वरूप आत्महत्या की जाना

श्री मधु भगत, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – 17 नवम्बर 2018 को जिला पंचायत सी.ई.ओ., बालाघाट द्वारा आयोजित सरपंचों की बैठक में काफी जन समुदाय जमा था जिसके चलते पादरीगढ़ सरपंच भक्ति ठाकुर पति श्री महेन्द्र ठाकुर के ऊपर आरोप तय किये गये कि तुम्हारे पति ने हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास का पैसा लिया है, मामला 41 हजार रूपये का था. सरपंच को जिला पंचायत सीईओ एवं पूर्व सरपंच द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया. वह रोते हुये अपने ग्राम पहुंची और उसने एक सुसाइड नोट में पूरी जानकारी लिखी. उसने ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डालकर रात में ही अपने प्राण त्याग दिये. क्या हमारे प्रशासन के अधिकारी इतना दवाब बनाकर जनप्रतिनिधियों के ऊपर दबाव डालेंगे कि वह आत्महत्या करें. उस जिला पंचायत सीईओ के ऊपर हम कार्यवाही चाहते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पाठासीन हुए.

(4) विधान सभा क्षेत्र श्योपुर जिले के 36 गांव में सिंचाई प्रबंध न होने से किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय होना

श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – श्योपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र श्योपुर में ग्राम कोंड, कनापुर, काटोदी, किशोरपुरा, तुलसेफ, अजापुरा, चंद्रपुरा ऐसे लगभग 36 गांवों में सिंचाई का कोई प्रबंध न होने से वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है, किसान लगातार सिंचाई का प्रबंध करने के लिये बड़ी नहर (चंबल केनाल) से नहर निकालकर पानी देने की मांग कर रहे हैं. किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होने से वे आंदोरनरत है. पार्वती उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को पानी दिया जाये. श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने आसंदी को सूचित किया कि उनके द्वारा भी इसी विषय पर ध्यानाकर्षण दिया हुआ है. उसे चर्चा के लिए ग्राह्य कर लें.

(5) नरसिंहगढ़ नगर के सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाना

श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – नरसिंहगढ़ नगर के 30 बिस्तरों के सिविल अस्पताल में लगभग 100 से अधिक गांवों के 50 हजार लोग अस्पताल में इलाज कराते हैं लेकिन वहां चिकित्सकों की कमी व सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों को मजबूरी में हजारों रूपये देकर के भोपाल के निजी अस्पतालों में इलाज हेतु आना पड़ता है और इसलिए नरसिंहगढ़ अस्पताल को 100 बिस्तरों का अस्पताल करने की आवश्यकता है. इस संबंध में शासन को और प्रशासन को अनेकों बार अवगत कराया गया है. लेकिन कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण क्षेत्र की जनता में तीव्र रोष एवं आक्रोश व्याप्त है. कृपया इस समस्या पर शासन ध्यान दे.

(6) सिवनी विधानसभा क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त पानी और बिजली की सुविधाएं दी जाना

(1) सर्वश्री दिनेश राय, रजनीश सिंह, सदस्यगण द्वारा उल्लेख किया गया कि – सिवनी विधानसभा सूखाग्रस्त हो जाने के बावजूद वहां पर जो पेंच व्यवर्तन योजना के अंतर्गत जो नहर खोली जानी थी उसको आज और कल दो दिन खोले हुये हैं जिससे किसानों को पूरी नहरों में पानी न मिलने के कारण से किसान काफी परेशान है. उस नहर का अधिकांश पानी हमारे बगल के जिले में ले जा चुके हैं जिससे किसान इतना आक्रोशित है कि उसको भरपूर पानी मिल पायेगा या नहीं मिल पायेगा. एक कंपनी नहर निर्माण में 80 करोड़ का एडवांस निकालकर के खाकर के भाग गई और दूसरी नहर हेतु जो कंपनी काम कर रही है उसको डिफाल्टर घोषित कर दिया है. उन्होने फसल लगा दी है. आपसे आग्रह है कि किसानों को पर्याप्त पानी मिले इसकी व्यवस्था सरकार करे. वहां पर विद्युत व्यवस्था बाधित है. विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है इसको भी दुरूस्त किया जाये.

(7) सुवासरा विधानसभा सहित मंदसौर जिले की समस्त तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना

श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – सुवासरा विधानसभा सहित मंदसौर जिले के अन्य अंचलो में भी वर्तमान में कुंए में पानी का स्तर कम हो चुका है जिसके कारण फसलें और पेयजल व्यवस्था के लिये वहां की जनता परेशान है. आने वाले दिनों में पेयजल और फसलों के लिये पानी के लेकर भयावह परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, वहां की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये सुवासरा विधानसभा क्षेत्र सहित मंदसौर जिले की समस्त तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाये.

(8) विधानसभा क्षेत्र मंझोली, पाटन एवं जबलपुर जिले को सूखा घोषित किया जाना

श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – हमारी विधानसभा क्षेत्र मंझोली, पाटन सहित जबलपुर जिले को सूखा घोषित किया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है. बिजली व्यवस्था लचर हो चुकी है. बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं और ट्रांसफार्मर 4 - 5 महीने के बाद भी बदले नहीं जा रहे हैं, इन सभी अव्यवस्थाओं को शासन सुव्यवस्थित कराए.

(9) खजुराहो पर्यटन स्थल से रेलों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाना

श्री विक्रम सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – खजुराहो नगर में खजुराहो विश्व पर्यटन स्थल है, वहां पर 100 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन से जुड़े हुए हैं. आज वहां पर्यटन का ग्राफ दिन प्रति दिन नीचे गिरता जा रहा है इसलिए सरकार वहां कुछ प्रयास कर वहां रेल की कनेक्टिविटी कोलकत्ता,मुंबई और चेन्नई तक बढ़ाए. इस क्षेत्र के लोगों में बहुत रोष है.

(10) सूखाग्रस्त जबेरा विधानसभा क्षेत्र में सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना

श्री प्रताप सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – मेरा क्षेत्र सूखाग्रस्त तो हुआ है लेकिन वहां के किसान और मजदूर आशा लगाये हुएं हैं कि वहां सरकार क्या करने जा रही है और वह लोगों को, किसानों को क्या लाभ देगी. शासन के कोई भी नियम तहसील स्तर तक नहीं पहुंचें हैं और राजस्व विभाग के पटवारी और अधिकारी लोग उन लोगों से मनमाफिक सूचियां बनवा रहे हैं और उनसे पैसा ले रहे हैं. यदि क्षेत्र सूखाग्रस्त हुए हैं तो वहां पर सरकार तत्काल ही कोई नियम लागू करवाएं.

(11) पुष्पराजगढ़ और जैतहरी तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – पुष्पराजगढ़ विधानसभा में पुष्पराजगढ़ और जैतहरी तहसील में अल्पवर्षा के कारण काफी भू-जल स्तर नीचे गिरते जा रहा है तथा बहुत सारे हमारे किसान बेरोजगार होते जा रहे हैं. शासन पुष्पराजगढ़ और जैतहरी तहसील को सूखा घोषित कर वहां पेयजल व्यवस्था कराई जाए.

5. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखे :-

(1) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017), तथा

(2) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017)

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश अधोसंरचना वित्तिधान निधि बोर्ड का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 53 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(3) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्न अधिसूचनाएं –

(क) क्रमांक 1020-म.प्र.वि.नि.आ./2017, दिनांक 12 जुलाई, 2017 (शुद्धि पत्र), तथा

(ख) क्रमांक 1249/म.प्र.वि.नि.आ./2017, दिनांक 31 अगस्त, 2017

पटल पर रखीं.

(4) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन विभाग की अनुपस्थिति में श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015 पटल पर रखा.

(5) श्री संजय पाठक, राज्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की अनुपस्थिति में श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता ने मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2008-09 तथा 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2009-10 पटल पर रखे.

7. जुलाई, 2017 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

उपाध्यक्ष महोदय ने जुलाई, 2017 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर खण्ड 11 का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

8. नियम 267 - क के अधीन जुलाई, 2017 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

उपाध्यक्ष महोदय ने जुलाई, 2017 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2017 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017)	30 मिनट
2.	वर्ष 2017-2018 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	2 घण्टा

श्री उमाशंकर गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री (प्रभारी) ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. राष्ट्रपति / राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 1 विधेयक को राष्ट्रपति महोदय तथा 10 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 30 सन् 2017

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2017
2.	मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2017
3.	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2017
4.	मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 17 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2017
5.	मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2017
6.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 25 सन् 2017
7.	मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2017
8.	न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2017
9.	मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 28 सन् 2017
10.	मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 29 सन् 2017

11. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री यशपाल सिंह सिसौदिया, दिलीप सिंह परिहार, मुरलीधर पाटीदार, जसवंत सिंह हाड़ा, आशीष गोविन्द शर्मा, ओमप्रकाश सखलेचा, सदस्यगण ने मंदसौर एवं नीमच जिले में चिटफण्ड कंपनियों द्वारा निवेशकों की राशि हड़पी जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य ने प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ न मिलने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

12. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

13. सभापति तालिका की घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री कैलाश चावला
(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(4) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री के.पी. सिंह

14. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(2) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(3) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(4) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(5) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(6) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(7) श्री शंकरलाल तिवारी (जिला-भोपाल)
(8) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)
(9) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(10) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(11) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
(12) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(13) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(14) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता ने (विधान सभा की जुलाई, 2017 सत्र में पुर:स्थापित) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017) को वापस लेने की अनुमति चाही.

सदन की अनुमति से विधेयक वापस हुआ.

अपराह्न 1.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2017 (अग्रहायण 8, शक सम्वत् 1939) को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 28 नवम्बर, 2017